## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –46/2023

अनवान : –

1. बलवान सिंह पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– **वादी**

**बनाम्**

1. पतराम पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. भंवरलाल पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. जवाहरलाल पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. कमल कुमार पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

**निर्णय** **दिनांक: 01.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 290/298 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रेखाराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हक हिस्सा अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 290/298 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से वादी, प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रत्येक 1.518 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 1 अकेला 2.0240 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्स त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 290/298 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 290/298 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि ... प्रतिवादी स0 2, प्रतिवादी स0 3 व प्रतिवादी स0 4 प्रत्येक को 1.5... हैक्ट ... काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 2.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/6/25 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
## पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –46 / 2023

अनवान : –

1. बलवान सिंह पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– **वादी**

**बनाम्**

1. पतराम पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. भंवरलाल पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. जवाहरलाल पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. कमल कुमार पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. रोशनी पुत्री पतराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 46 सन 2023 निर्णय दिनांक 01.06.2023**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 290 / 298 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि में वादी, प्रतिवादी स0 2 , प्रतिवादी स0 3 व प्रतिवादी स0 4 प्रत्येक को 1.518 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा शेष 2.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा